उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–02

संख्या : /VII–A–2/2024/137–उद्योग/2005

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य में नियोजित नगरीय एवं औद्योगिक विकास हेतु क्रमशः विकास प्राधिकरण तथा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) का गठन कर विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिसूचित किये गये थे। इन अधिसूचित क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी प्रचलित अधिनियमों द्वारा भावी नगरीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनियंत्रित एवं अनियोजित प्रसार एवं निर्माण को हतोत्सहित कर नियंत्रित करने के साथ–साथ भावी विकास को नियोजित दिशा प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया।

और राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के भवन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के स्तर पर तीन प्रकार की व्यवस्थायें विद्यमान हैं। प्राधिकरण दायरे में स्वीकृत ले–आउट पर नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी, आवास विभाग के अधीन संबंधित विकास प्राधिकरण एवं पंचायती क्षेत्रों में जिला पंचायतों की है। जबकि विकास प्राधिकरण/जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की परिधि से बाहर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–2(घ), सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधकरण) अधिनियम, 1991 की धारा–2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक भवन मानचित्र, औद्योगिक विकास विभाग के अधीन राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा स्वीकृत होते हैं।

अधिसूचना संख्या–24(1)/VII-A-2/2022/11-सिडकुल/2020, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम– 2022 लागू किया गया है। सीडा एवं विकास प्राधिकरण तथा जिला विकास प्राधिकरण में बायलॉज से लेकर प्रक्रिया में व्यापक अंतर है। सीडा में जहां मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए अपेक्षाकृत कम शुल्क देय करना होता है, वहीं वर्तमान में सीडा में सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें शपथ पत्र के आधार पर ही आर्किटेक्ट के द्वारा मानचत्रि स्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में सरलीकरण हुआ है। दूसरी ओर विकास प्राधिकरण/जिला विकास प्राधिकरण में मानचित्र परंपरागत तरीके से स्वीकृत किये जाते हैं। इसके लिए कई विभागों से अनापत्ति लेनी होती है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने में उद्योगपतियों को काफी असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा समय–समय पर औद्योगिक भवन मानचित्रों के स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में सरलीकरण की मांग की जाती रही है।

अतः, अब राज्यपाल, राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के भवन मानचित्र स्वीकृत कराये जाने की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण(सीडा), को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) आवास विभाग के मास्टर प्लान में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जायेगा, जिससे कि

अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का भवन मानचित्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के स्तर से स्वीकृत हो सके।

(2) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जायेगा, इन क्षेत्रों के मानचित्र भी सीडा द्वारा ही स्वीकृत होंगें।

(3) अर्बन एरिया में आवास विभाग के मास्टर प्लान में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र, जिनके मानचित्र सीडा द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, उसमें से विकास शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि सीडा द्वारा अपने पास रखकर शेष 90 प्रतिशत धनराशि आवास विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग एवं आवास विभाग परस्पर विचार–विमर्श कर आपसी सहमति प्राप्त कर लेंगे।

(4) जिस क्षेत्र में कोई जिला विकास प्राधिकरण नहीं है। वहां पर औद्योगिक भवन मानचित्र सीडा से ही स्वीकृत कराये जाएगें।

(5) मानचित्रों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(6) लेबर सेस को ऑनलाइन करने हेतु श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या : 01 / VII-A–2 / 2024 / 137–उद्योग / 2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक / आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य अवस्थापना विकास प्राधिकरण (सीडा), उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आगामी सरकारी गजट में उक्त सरकारी कार्यालय ज्ञाप की 200 प्रतियां प्रकाशित करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
11/1/24
(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।